आदेश

प्रधान परिचालक/प्रधान परिचालक(यॉत्रिक) पद से रेडियो उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 24.12.2014 को उ0प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ में सम्पन्न हुई थी। तत्समय प्र0परि0/2233 राजेन्द्र प्रसाद, नियुक्ति जनपद–बलिया के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग संख्याः 18/95 धारा 419/420 भादवि थाना–नगरा, जनपद–बलिया विचाराधीन माननीय सी0जे0एम0न्यायालय, बलिया होने के कारण चयन समिति द्वारा इनका चयन परिणाम बन्द लिफाफा रखा गया था। वर्तमान में उक्त अभियोग में मा0सक्षम न्यायालय, मुख्य दण्डाधिकारी, बलिया के पारित निर्णय दिनांक 09.12.2015 द्वारा इन्हे दोषमुक्त कर दिया गया तथा उस निर्णय के विरुद्ध योजित शासकीय अपील को अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया के निर्णय दिनांक 16.12.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश संख्याः13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–7(क) में प्राविधानिक है कि "पूर्णतया निर्दोष पाये जाने की दशा में–आरोपित कार्मिक, जिसके विषय में चयन समिति की संस्तुति मुहर बन्द लिफाफे में रखी गयी है, को यदि पूर्ण रुप से दोषमुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी(या यथास्थिति चयन कराने वाले विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव, जिनकी अभिरक्षा में चयन समिति का कार्यवृत्त रखा जाता है) द्वारा लिफाफे को खोला जायेगा और तदोपरान्त इसमें रखी संस्तुति के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामले में यदि लिफाफे में रखी संस्तुति के अनुसार पदोन्नति हेतु संस्तुत किया गया हो तो उसे संदर्भित चयन के आधार पर प्रोन्नत किये गये उसके कनिष्ट की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल प्रोन्नत माना जायेगा और तद्नुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे।"

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28.05.1997 में निहित उपरोक्त व्यवस्था के आलोक में प्र0परि0 /2233 राजेन्द्र प्रसाद के बन्द लिफाफा चयन परिणाम को खोला गया। उक्त लिफाफे में दिनांक 24.12.2014 को चयन समिति द्वारा श्री प्रसाद के सम्बन्ध में निम्न संस्तुति की गयी है–

"उपयुक्त– इनके विरुद्ध थाना–नगरा, जनपद–बलिया में पंजीकृत मु0अ0सं0 18/95 धारा 419/420 भादवि में मा0न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन।"

अतएव चयन समिति द्वारा की गयी उपरोक्तानुसार संस्तुति एवं मुहर बन्द लिफाफे की प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 28.05.1997 के खण्ड–7(क) पर प्रदत्त व्यवस्था के आलोक में प्र0परि0/2233 राजेन्द्र प्रसाद, वर्तमान नियुक्ति जनपद–बलिया को उनके आसन्न कनिष्ठ प्रधान परिचालक/2220 मुकेश चन्द्र के रेडियो उपनिरीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 27.12.2014 से वेतन बैण्ड 9300–34800 व ग्रेड पे रु0 4600/– में रेडियो उपनिरीक्षक पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्याः पी–773/2016
दिनांकः फरवरी 13 ,2017

13-2-17
(अनिल कुमार)
उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)मुख्यालय,
उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय,
महानगर, लखनऊ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उपमहानिरीक्षक(पुलिस दूरसंचार)आपरेशन, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक/रेडियो निरीक्षक, बलिया।
3. सहायक रेडियो अधिकारी, आजमगढ़।
4. रेडियो निरीक्षक, प्रतिसार को हि0आ0पु0 में अंकन हेतु।
5. रेडियो निरीक्षक, कार्मिक।
6. प्रधान लिपिक, चरित्र पंजी शाखा उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ।
7. प्रभारी, सरवर सेल उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय, लखनऊ को पुलिस विभाग की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।